


12.04.23 पत्रावली वैश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं।

वकील वादी एवं वादीगण को बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह वादपत्र अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में दलील स्तर पर कार्रवाई किया जाता है। पत्रावली काट तरीक तकमील होकर शामिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में मुनाफा गया।


(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना